भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2059
जिसका उत्तर शुक्रवार, 02 अगस्त, 2024 को दिया जाना है

न्यायालयों में लंबित मामले

2059. श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दादरा नगर हवेली और दमन और दीव सहित विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में सरकार द्वारा फास्ट ट्रैक न्यायालयों और ग्राम न्यायालयों की स्थापना जैसे अनेक कदम उठाए जाने के बावजूद बड़ी संख्या में मामले अभी भी लंबित हैं ;

(ख) यदि हां, तो फास्ट ट्रैक न्यायालयों और ग्राम न्यायालयों द्वारा उनकी स्थापना के समय से कितने लंबित मामले निपटाए गए हैं और आज की स्थिति के अनुसार लंबित मामलों की संख्या कितनी है ;

(ग) क्या सरकार का लंबित मामलों को शीघ्रातिशीघ्र निपटाने के लिए और अधिक न्यायालयों की स्थापना करने तथा मौजूदा न्यायालयों में और अधिक न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का विचार है ;

(घ) यदि हां, तो दादरा नागर हवेली, दमन और दीव सहित तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) सरकार द्वारा लंबित मामलों को समयबद्ध तरीके से निपटाने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : राष्ट्रीय राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, सारे देश के न्यायालयों में लंबित मामलों की कुल संख्या निम्नानुसार है :

क्र.सं.	न्यायालय का नाम	लंबित मामलों की कुल संख्या
1.	उच्चतम न्यायालय	83,589
2.	उच्च न्यायालय	59,95569
3.	जिला और अधीनस्थ न्यायालय	4,45,41,614

दमण और दीव के मामले में, आज की तारीख तक 3,107 मामले लंबित हैं और दादरा और नागर हवेली के मामले में, 4,416 मामले संबंधित जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित हैं।

(ख) : 31 मई 2024 तक 866 त्वरित निपटान न्यायालय स्थापित किए जा चुके हैं। त्वरित निपटान न्यायालय के संबंध में उनकी स्थापना से लेकर 31.05.2024 तक लंबित और निपटाए गए मामलों की संख्या इस प्रकार है:

क्र.सं.	लंबित मामले	निपटाए गए लंबित मामले (स्थापना से)
1.	13,44,894	90,624

31.07.2024 तक 15 राज्यों द्वारा 481 ग्राम न्यायालय (ग्राम न्यायालय) अधिसूचित किए गए हैं, जिनमें से 10 राज्यों में 309 ग्राम न्यायालय चालू हो चुके हैं। ग्राम न्यायालयों द्वारा लंबित और निपटाए गए मामलों की संख्या के संबंध में डेटा 2020 तक केंद्रीय रूप से बनाए नहीं रखा जा रहा था। तथापि, ग्राम न्यायालय पोर्टल (https://dashboard.doj.gov.in/gn/cust_gncases_reports) पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, जिसमें राज्यों को ग्राम न्यायालयों में लंबित मामलों और निपटान के संबंध में डेटा अपलोड करना आवश्यक है, दिसंबर 2020 से जून 2024 तक लंबित और निपटाए गए मामलों की संख्या इस प्रकार है:

क्र.सं.	निपटाए गए लंबित मामले	लंबित मामले
1.	(दिसंबर, 2020 से जून, 2024 तक)	(30 जून, 2024 तक)

(ग) और (घ) : भारत के उच्चतम न्यायालय के मामले में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 130 यह उपबंध करता है कि उच्चतम न्यायालय दिल्ली में या ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में अधिविश्ट होगा, जिन्हें भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, राष्ट्रपति के अनुमोदन से, समय-समय पर नियत करें। ग्यारहवें विधि आयोग ने 1988 में प्रस्तुत "उच्चतम न्यायालय-एक नई दृष्टि विषयों पर" नामक अपनी 125वीं रिपोर्ट में उच्चतम न्यायालय को दो अर्थात् (i) दिल्ली स्थित सांविधानिक न्यायालय और (ii) उत्तरी, दक्षिणी पूर्वी, पश्चिमी तथा मध्य भारत में आसीन अपील न्यायालय या फेडरल न्यायालय में विभाजित करने के लिए दसवें विधि ओग की उसकी 95वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को पुन: दोहराया है । अठारहवें विधि आयोग ने वर्ष 2009 में प्रस्तुत अपनी 229वीं रिपोर्ट में यह भी सुझाव दिया था कि एक सांविधानिक न्यायपीठ दिल्ली में स्थापित की जाए और चार केसेसन न्यायपीठें उत्तरी क्षेत्र दिल्ली में, दक्षिणी क्षेत्र चेन्नई/हैदराबाद में, पूर्वी क्षेत्र कोलकाता में और पश्चिमी क्षेत्र मुंबई में स्थापित की जाए । यह मामला भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के पास भेजा गया, जिन्होंने बताया कि मामले पर विचार करने के बाद, 18 फरवरी, 2010 को आयोजित अपनी बैठक में पूर्ण न्यायालय ने पाया कि दिल्ली के बाहर उच्चतम न्यायालय की पीठों की स्थापना का कोई औचित्य नहीं है। राष्ट्रीय अपील न्यायालय की स्थापना पर रिट याचिका (सि.) संख्या 36/2016 में, उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 13.07.2016 के निर्णय के माध्यम से उपर्युक्त मुद्दे को आधिकारिक घोषणा के लिए संवैधानिक पीठ को संदर्भित करना उचित समझा।

मामला उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीन है।

भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 30 से बढ़ाकर 33 (मुख्य न्यायमूर्ति को छोड़कर) करने के लिए उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम, 1956 में संशोधन किया गया। 09.08.2019 से उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन अधिनियम, 2019 से प्रवृत्त हुआ।

उच्च न्यायालय के मामले में पीठों की स्थापना जसवंत सिंह आयोग द्वारा की गई सिफारिशों और उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सि.) संख्या 379/2000 में दिए गए निर्णय के अनुसार की गई है और राज्य सरकार द्वारा आवश्यक व्यय और अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करने के लिए सहमति देने वाले पूर्ण प्रस्ताव पर उचित विचार-विमर्श के पश्चात् संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति ली गई है, जिन्हें उच्च न्यायालय के दैनिक प्रशासन की देखभाल करने की आवश्यकता है। प्रस्ताव को पूर्ण

करने के लिए संबंधित राज्य के राज्यपाल की सहमति भी लेनी चाहिए। वर्तमान में किसी भी उच्च न्यायालय में पीठ स्थापित करने के लिए सरकार के पास कोई पूर्ण प्रस्ताव लंबित नहीं है।

तारीख 01.07.2014 से 29.01.2024 की अवधि के दौरान संबंधित राज्य सरकारों, संबंधित उच्च न्यायालयों और भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के अनुमोदन से सरकार ने उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या 906 से बढ़ाकर 1114 कर दी है, अर्थात 208 पद बढ़ गए हैं।

जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों के मामले में, अधिक न्यायालयों की स्थापना संबंधित उच्च न्यायालय और संबंधित राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है।

जहां तक जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में अधिक न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति का संबंध है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन राज्यों में जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका के सदस्यों पर प्रशासनिक नियंत्रण संबंधित उच्च न्यायालय में निहित है। संविधान के अनुच्छेद 233 और 234 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के उपबंध के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संबंधित राज्य सरकारें उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य न्यायिक सेवा में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति, प्रोन्नति, आरक्षण और सेवानिवृत्ति के मुद्दे के संबंध में नियम और विनियम बनाती हैं। न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत संख्या वर्ष 2014 में 19,518 से बढ़कर 31.07.2024 तक 25,609 हो गई है। दमण और दीव तथा दादरा और नागर हवेली सहित पिछले 5 वर्षों के दौरान जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों के संबंध में राज्यवार स्वीकृत संख्या और कार्यरत संख्या **उपाबंध-1** पर है।

(ङ) : न्यायालयों में लंबित मामलों का समयबध रीति में निपटान करना न्यायपालिका के अनन्य अधिकार क्षेत्र में आता है। तथापि, सरकार न्यायपालिका द्वारा मामलों के शीघ्र निपटान के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र की सुविधा प्रदान करने और संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन अनिवार्य रूप से लंबित मामलों को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस उद्देश्य से, राष्ट्रीय न्याय परिदान और विधिक सुधार मिशन की स्थापना प्रणाली में विलंब और बकाया में कमी करके पहुंच में वृद्धि करने और निष्पादन मानकों और क्षमताओं को स्थापित करने के द्वारा और संरचना परिवर्तन के माध्यम से जवाबदेहीता को बढाने के दोहरे उद्देश्यों के साथ अगस्त, 2011 में की गई थी । मिशन न्यायिक प्रशासन में बकाया और लंबित मामलों के चरणबद्ध समापन के लिए एक समन्वय दृष्टिकोण का अनुसरण कर रहा है, जिसमें अन्य बातों के साथ, न्यायालयों की बेहतर अवसंरचना अंतर्वलित है जिसके अंतर्गत कम्प्यूटरीकरण, अधीनस्थ न्यायपालिका की पद संख्या में वृद्धि, अत्यधिक मुकदमेंबाजी वाले क्षेत्रों में नीति और विधायी उपाय, मामलों के शीघ्र निपटान के लिए न्यायिक प्रक्रिया का पुर्नगठन और मानव संसाधन विकास पर जोर देना भी सम्मिलित है ।

****

उपाबंध 1

'अदालतों में लंबित मामलों' के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2059 जिसका उत्तर तारीख 02.08.2024 को दिया जाना है के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत संख्या एवं कार्यरत संख्या

क्र. सं.	राज्यसंघ राज्य क्षेत्र का नाम /	31.12.2019 तक		31.12.2020तक		31.12.2021तक		31.12.2022तक		31.12.2023 तक	
		स्वीकृत शक्ति	कार्यरत संख्या	स्वीकृत शक्ति	कार्यरत संख्या	स्वीकृत शक्ति	कार्यरत संख्या	स्वीकृत शक्ति	कार्यरत संख्या	स्वीकृत शक्ति	कार्यरत संख्या
1	आंध्र प्रदेश	597	529	607	510	607	491	607	534	618	535
2	तेलंगाना	413	334	474	378	474	425	560	410	560	445
3	अरुणाचल प्रदेश	41	27	41	32	41	32	41	33	44	34
4	असम	441	412	466	412	467	436	485	425	485	439
5	बिहार	1925	1149	1936	1433	1954	1394	2016	1349	2016	1550
6	चंडीगढ़	30	29	30	26	30	30	30	30	30	29
7	छत्तीसगढ़	468	393	480	387	482	409	527	437	562	423
8	दादर और नागर हवेली	3	3	3	2	3	2	3	2	3	2
9	दम और दीव	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4
10	दिल्ली	799	681	799	648	884	692	884	681	887	798
11	गोवा	50	43	50	40	50	40	50	40	50	40
12	गुजरात	1521	1185	1521	1152	1523	1123	1582	1151	1720	1175
१३	हरियाणा	772	475	772	493	772	482	772	464	772	564
14	हिमाचल प्रदेश	175	153	175	161	175	160	179	163	179	158
15	जम्मू और कश्मीर	290	232	296	255	300	241	314	223	317	223
16	लद्दाख			16	8	17	9	17	9	17	10
17	झारखंड	677	461	675	544	675	523	694	508	693	512
18	कर्नाटक	2703	2169	1357	1071	1363	1087	1365	1132	1375	1150
19	केरल	536	457	538	470	569	488	595	473	605	514
20	लक्षद्वीप	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3
21	मध्य प्रदेश	2021	1620	2021	1610	2021	1552	2021	1649	2028	1730
22	महाराष्ट्र	2189	1942	2190	1940	2190	1940	2190	1940	2190	1940
23	मणिपुर	55	39	54	36	59	42	59	42	59	49
24	मेघालय	97	49	97	49	97	49	99	51	99	57
25	मिजोरम	64	46	64	43	65	42	74	41	74	41
26	नागालैंड	33	25	33	26	34	24	34	24	34	24
27	ओडिशा	919	770	950	756	976	785	1001	767	1008	803
28	पुदुचेरी	26	11	26	11	26	11	28	11	29	10
29	पंजाब	675	579	692	593	692	607	797	589	797	585
30	राजस्थान	1428	1120	1489	1292	1549	1274	1587	1256	1638	1342
31	सिक्किम	25	19	25	20	28	20	30	21	35	23
32	तमिलनाडु	1255	1080	1298	1049	1316	1082	1340	1068	1371	1040
33	त्रिपुरा	120	96	120	97	122	97	128	108	128	108
34	उत्तरप्रदेश	3416	2578	3634	2581	3634	2542	3647	2474	3696	2449
35	उत्तराखंड	294	228	297	255	299	271	299	269	298	271
36	पश्चिमी बंगाल	1014	918	1014	918	1014	918	1014	918	1014	918
37	अंदमान और निकोबार	0	13	0	13	0	13	0	13	0	13
कुल		**25079**	**19871**	**24247**	**19318**	**24515**	**19340**	**25077**	**19313**	**25439**	**20011**

****